

21. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:—आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित “Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination” तथा “The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016” के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न-पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रुपये 1,00,000/— (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रुपये 10,00,000/— (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।

22. परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :-

लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम :-

प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र सम्मिलित होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र उसके सामने दर्शित अंकों का होगा, अर्थात:-

प्रश्न पत्र	अवधि	अंक
फेज-I		
1. सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित।	3 घण्टे	100
2. सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी।	3 घण्टे	100

फेज-II

I- निःशक्त व्यक्तियों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए :-

1. कम्प्यूटर पर हिन्दी में टंकण		
क. गति परीक्षण	10 मिनट	25
ख. दक्षता परीक्षण	10 मिनट	25
2. कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण		
क. गति परीक्षण	10 मिनट	25
ख. दक्षता परीक्षण	10 मिनट	25

II- निःशक्त व्यक्तियों को उनके द्वारा फेज I में प्राप्त औसत अंक दिये जायेंगे।

स्पष्टीकरण :-

- “निःशक्त व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के उपबन्धों के अधीन लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र है।
- इस प्रकार निःशक्त होने के प्रमाण स्वरूप अभ्यर्थी से, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बोर्ड को अपना आवेदन प्रस्तुत करने के समय ऐसे अधिकारी, जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो, द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

3. प्रश्न पत्रों का स्तर वह होगा जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा का हैं परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम और विस्तार वह होगा जो बोर्ड समय-समय पर विहित करे और उसके अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से संसूचित किया जायेगा जो बोर्ड उचित समझे।
4. प्रतियोगी परीक्षा दो फेज में – फेज I और फेज II में आयोजित की जायेगी। फेज I के समस्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।
5. विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के तीन गुने के अधधीन फेज I में दोनों प्रश्न पत्रों में अलग-अलग न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही फेज II में प्रवेश दिया जायेगा किन्तु उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जायेगा जो अंकों का समान प्रतिशत प्राप्त करते हैं। बोर्ड ऐसे किसी अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जो लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक के पद के लिये प्रतियोगी परीक्षा के फेज- I के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक और फेज – II के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहा हो। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक फेज के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत तक शिथिलीकरण उपलब्ध होगा।
6. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के फेज I और फेज II में प्राप्त अंकों की गणना, उनकी अंतिम योग्यताक्रम अवधारित करने के लिए की जायेगी।
7. सभी अभ्यर्थियों के लिए कम्प्यूटर पर टंकण कार्य करना आवश्यक होगा।

पाठ्यक्रम (Syllabus)

PAPER - I (सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित)

समय – 3 घंटे

अंक – 100

सामान्य ज्ञान (GENERAL KNOWLEDGE)

1. सामयिक मामले (सम्बन्ध) – राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएँ एवं मुद्दे तथा सम्बन्धित संगठन एवं संस्थाएँ।
2. भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन – (अ) भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी (ब) राजस्थान की भौतिक दशाएँ – जलवायु, वनस्पति एवं मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन – जनसंख्या एवं जनजातियाँ, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन – खनिज, वन, जल, पशु। वन्य प्राणी एवं संरक्षण।
3. राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास – राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ, मरु भूमि के विकास सम्बन्धी परियोजनाएँ, हस्त उद्योग। विभिन्न आर्थिक योजनाएँ, कार्यक्रम एवं विकास की संस्थाएँ इनमें पंचायती राज एवं उनकी भूमिका।
4. **राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति –**
 - (अ) मध्यकालीन इतिहास।
 - (ब) स्वतन्त्रता आन्दोलन एवं राजनैतिक चेतना।
 - (स) राजनैतिक पुनर्गठन।
 - (द) लोक भाषाएँ (बोलियाँ) एवं साहित्य।
 - (य) लोक संगीत एवं लोक नृत्य।
 - (र) सन्त, कवि, योद्धा, लोक देवता एवं लोक देवियाँ एवं सामप्रदायिक सौहार्द।
 - (ल) मेले एवं त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा तथा आभूषण।
5. **राजस्थान का औद्योगिक विकास –**
 - (अ) प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र।
 - (ब) कच्चे माल की उपलब्धता।
 - (स) खनिज आधारित बड़े, छोटे एवं कुटीर उद्योग।
 - (द) ऊर्जा के विभिन्न स्रोत – जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन एवं सौर ऊर्जा।

दैनिक विज्ञान (EVERYDAY SCIENCE)

1. भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन (Physical and Chemical Changes); ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएँ (Oxidation and reduction reactions); उत्प्रेरक (Catalysts)।
2. धातु, अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक (Metals, non-metals and their important compounds); सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक (Some important compounds used in daily life)।
3. कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक (Carbon and important compounds of carbon); हाईड्रोकार्बन (Hydrocarbons); कार्बन के अपरूप (Allotropes of carbon); क्लोरो-फ्लोरो कार्बन या फ्रियॉन (Chloro-Fluoro Carbon or Freons); सी.एन.जी. (Compressed Natural Gas); बहुलक (Polymers); साबुन एवं अपमार्जक (Soap and detergents)।
4. प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम (Reflection of light and its laws); प्रकाश का वर्ण विक्षेपण (Dispersion of light); लेंस के प्रकार (Types of lenses); दृष्टि दोष तथा उसका निवारण (Defects of vision and their corrections)।
5. विद्युत (Electricity) : विद्युत धारा (Electric current); ओम का नियम (Ohm's law); विद्युत सेल (Electric cell); फ़ैराडे के विद्युत चुम्बकीय-प्रेरण के नियम (Faraday's laws of electro magnetic induction); विद्युत जनित्र (Electric generator); विद्युत मोटर (Electric Motor); घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था (Electric connection arrangements in houses); घरों में काम आने वाली विद्युत युक्तियों की कार्यविधि, रख-रखाव एवं उपयोग में लेते समय सावधानियाँ (Working, maintenance and precautions during use of house hold electrical appliances)।
6. अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी (Space and information technology); भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम (Space research programme of India); सूचना प्रौद्योगिकी (Information technology)।
7. आनुवंशिकी से सम्बन्धित सामान्य शब्दावली (General terminology related to genetics); मेण्डेल के आनुवंशिकता के नियम (Mendel's law of inheritance); गुणसूत्रों की संरचना (Structure of Chromosomes); न्यूक्लिक अम्ल (Nucleic Acids); प्रोटीन संश्लेषण का केन्द्रीय सिद्धान्त (Central dogma of protein synthesis); मनुष्य में लिंग निर्धारण (Sex determination in human)।
8. पर्यावरण अध्ययन (Environmental study) : पारिस्थितिक तन्त्र की संरचना (Structure of ecosystems); पारिस्थितिक तन्त्र के जैविक घटक (Biotic factors of ecosystem); पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह (Energy flow in ecosystem); जैव भू रासायनिक चक्र (Biogeochemical cycles); जैव प्रौद्योगिकी : सामान्य जानकारी (Biotechnology - General information); जैव-पेटेंट (Bio-patent); नई पादप किस्मों का परिवर्धन (Development of new plant varieties); ट्रांसजेनिक जीन या पराजीनी जीव (Transgenic organisms)।
9. जन्तुओं का आर्थिक महत्व (Economic importance of animals); पादपों का आर्थिक महत्व (Economic importance of plants)।
10. रक्त समूह (Blood groups); रक्ताधान (Blood transfusion); आर.एच.कारक (Rh factor)। रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य (Pathogens and human health); कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य (Malnutrition and human health)। मानव रोग : कारण एवं निवारण (Human disease : Causes and cures)।

गणित (MATHEMATICS) :

1. वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल (6 अंकों की संख्याओं तक)।
2. गुणनखण्ड, बहुपद के गुणनखण्ड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक।
3. अनुपात-समानुपात, प्रतिशतता, लाभ-हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा।
4. एक बिन्दु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएँ, सरल रैखीय आकृतियाँ, त्रिभुजों की सर्वांगसमता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दो बिन्दुओं के मध्य दूरियाँ, दो बिन्दुओं के मध्य दूरियों का आन्तरिक एवं बाह्य विभाजन।
5. समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन।
6. कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ, ऊँचाई-दूरी की सामान्य समस्याएँ।
7. आँकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक।

Pattern of Question Papers:

1. Objective Type Question Paper.
2. Maximum Marks: 100
3. Number of Questions: 150
4. Duration of Paper: Three Hours.
5. All Questions carry equal marks.
6. There will be 1/3 part **Negative Marking**.

PAPER - II (GENERAL HINDI & ENGLISH)**समय – 3 घंटे****अंक – 100****सामान्य हिन्दी**

- सन्धि और संधि विच्छेद ।
- सामासिक पदों की रचना और समास-विग्रह ।
- उपसर्ग ।
- प्रत्यय ।
- पर्यायवाची शब्द ।
- विपरीतार्थक (विलोम) शब्द ।
- अनेकार्थक शब्द ।
- शब्द – युग्म ।
- संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना ।
- शब्द – शुद्धि : अशुद्ध शब्दों का शुद्धीकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण ।
- वाक्य – शुद्धि : अशुद्ध वाक्यों का शुद्धीकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण ।
- वाच्य : कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग ।
- क्रिया : सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएँ ।
- वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ।
- मुहावरे और लोकोक्तियाँ ।
- अंग्रेजी के पारिभाषिक (तकनीकी) शब्दों के समानार्थक हिन्दी शब्द ।
- सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिन्दी में रूपान्तरण और हिन्दी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपान्तरण ।
- कार्यालयी पत्रों से सम्बन्धित ज्ञान ।

GENERAL ENGLISH:

- Tenses/Sequence of Tenses.
- Voice : Active and Passive.
- Narration : Direct and Indirect.
- Transformation of Sentences : Assertive to Negative, Interrogative, Exclamatory and vice-versa.
- Use of Articles and Determiners.
- Use of Prepositions.
- Translations of Simple (Ordinary/Common) Sentences from Hindi to English and vice-versa.
- Correction of sentences including subject, Verb, Agreement, Degrees of Adjectives, Connectives and words wrongly used.
- Glossary of official, Technical Terms (with their Hindi Versions).

- Synonyms.
- Antonyms.
- One word substitution.
- Forming new words by using prefixes and suffixes.
- Confusable words.
- Comprehension of a given passage.
- Knowledge of writing letters: Official, Demi Official, Circulars and Notices, Tenders.

Pattern of Question Paper:

1. Objective Type Question Paper.
2. Maximum Marks: 100
3. Number of Question: 150 (75 Question General Hindi & 75 Question General English)
4. Duration of Paper: Three Hours.
5. All Questions carry equal marks.
6. There will be 1/3 part **Negative Marking.**

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाये जाने हेतु ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में पाँचवा विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किये गये हैं :-

1. प्रत्येक प्रश्न के 05 विकल्प A, B, C, D, E. अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तरपुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा।
Each question has five options marked as A, B, C, D, E. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
2. प्रत्येक प्रश्न के लिये विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा।
It is mandatory to fill only one of the options for each question.
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिये पाँचवा विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि पाँचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10 प्रतिशत प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाये जावेंगे।
If you are not attempting a question then you have to darken the circle 'E'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
4. प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जावेगा। ताकि वह प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न का 'E' गोला गहरा भर सकें।
After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for darkening the circle of option "E" for all unanswered questions.
5. जिस अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों को किन्हीं पाँच गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जावेगा।
A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% question shall be disqualified.

23. बोर्ड की वेबसाइट:-अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट <http://rssb.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर को बोर्ड का विज्ञापन संख्या 04/2026 क्रमांक प. 14(163)RSSB/अर्थना/लि.ग्रे.॥/संयु.भर्ती/2025/ दिनांक यथाहस्ताक्षर की प्रतियां प्रेषित करते हुए राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के आगामी अंक में विस्तृत विज्ञापन केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु प्रकाशनार्थ हेतु भेजा जा रहा है। उक्त समाचार पत्र के विज्ञापन प्रबन्धक से भी अनुरोध है कि बोर्ड का विज्ञापन नवीनतम संस्करण में हर हालात में प्रकाशित करें। साथ ही यह भी अनुरोध किया जाता है कि प्रकाशित विज्ञापन कटिंग की एक प्रति (निःशुल्क) निम्नलिखित पते पर सीधे ही भेजें ताकि प्रकाशित विषय सामग्री की सत्यता की जांच की जा सके। अर्थना अनुभाग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय (कृषि उपज मंडी समिति), राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
- 6- सदस्य सचिव, राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्ष बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा जयपुर।
9. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राज कॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड (आर.आई.एस.एल) प्रथम तल सी ब्लॉक, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर-302005 से अनुरोध है कि विस्तृत विज्ञापन को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करें।
10. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. अनुभाग, RSSB, जयपुर को विज्ञापन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
11. अर्थना संवीक्षा/मूल्यांकन समिति, RSSB, जयपुर।

सचिव